बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संचिका संख्या-5/आ0-3-10/2016- 550 पटना, दिनांक- 22/6/18

मो० जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा सम्प्रति सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज के विरूद्ध लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा में पदस्थापन काल के दौरान अपने कार्यालय में नियमित रूप से नहीं रहने, अधौरा जलापूर्त्ति योजना की जानकारी लिए जाने के क्रम में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ से दूरभाष पर अभद्र व्यवहार किये जाने एवं श्री त्रिवेणी राम, खलासी, प्रशाखा-अधौरा से गाली-गलौज किये जाने संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया।

2. मो० जुबैर के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-879, दिनांक-13.10.2017 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संरिथत की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-4, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-11, दिनांक-12.01.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में मो० जुबैर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित बताया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-224, दिनांक-14.03.2018 के द्वारा मो० जुबैर को जाँच प्रतिवेदन में आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेश के आलोक में मो० जुबैर के पत्रांक-90, दिनांक-17.04.2018 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा मो० जुबैर से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई। द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर में मो० जुबैर के द्वारा ऐसे किसी तथ्य को वर्णित नहीं किया गया, जिससे उनके विरूद्ध लगाये गए आरोप का खण्डन हो सके। अतः समीक्षोपरान्त मो० जुबैर से प्राप्त प्रत्युत्तर को अस्वीकार योग्य पाया गया।

4. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत मो० जुबैर, तत्कालीन सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, अधौरा सम्प्रति सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(i) **निन्दन, जिसकी प्रविष्टि वर्ष 2016-17 की गोपनीय चारित्री में की जायेगी।**

22/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आ0-3-10/2016- 550 पटना, दिनांक- 22/6/18

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आ0-3-10/2016- 550 पटना, दिनांक- 22/6/18

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/~~आई०टी0~~, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मो० जुबैर, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, रफीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव।
22/6/18